



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]  
No. 556]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 1990/अश्विन 4, 1912  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 1990/ASVINA 4, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय  
(परिवहन पक्ष)  
आदेश

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1990

का.आ. 744(अ):—यतः, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 93 में विनिर्दिष्ट आकार से भिन्न प्रकार के कार्गो को, इस आदेश के साथ संलग्न सारणी के कालम 1 में विनिर्दिष्ट किस्म के वाहनों द्वारा परिवहन की अनुमति दी जाए।

2. अतः, अब मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (3) के उखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के उक्त नियम 93 के प्रावधान उक्त किस्म के वाहनों पर लागू नहीं होंगे।

सारणी

वाहन की किस्म	प्रचालन क्षेत्र	कार्गो के विवरण तथा आकार
1	2	3
ट्रक ट्रेलर समिश्रण (2 ट्रेलर पंजीकरण सं. यू.टी.सी. 9585 तथा यू.टी.सी. 9755) स्वामी : मैसर्स फ़ैरीवाला कैरियर्स एण्ड कांटेक्टर्स, लखनऊ।	उ.प्र., राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से गजस्टे हुए लखनऊ बम्बई।	2 ट्रिवल वीन एयर क्राफ्ट लंबाई-31 फीट प्रत्येक/ चौड़ाई-17 फीट प्रत्येक ऊंचाई-8 फीट प्रत्येक

3. शक्ति-आकार का कार्गो ले जाने के प्रयोजन के लिए वी.सी. उपर्युक्त छूट 31 दिसम्बर, 1990 तक वैध है तथा यह उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट भार के लिए ही है। उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों पर भी निर्भर करती है :—

- (i) ट्रक की गति 40 कि.मी. प्रति घंटा द्वारा अथवा निम्नतर गति सीमा को पार नहीं करेगी जो कि संबंधित राज्य सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में ट्रक का प्रचालन किया जा रहा है, द्वारा निर्धारित की जा सकती है,
- (ii) ये ट्रक, कार्गो सहित, सिर्फ दिन के समय में ही चलेंगे तथा भीड़भाड़ के समय में, जब सड़क पर अन्य वाहनों का यातायात अधिक होता है, नहीं चलेंगे।
- (iii) ट्रक में लड़े हुए कार्गो की पूरी लंबाई दक्षिण के लिए आगे और पीछे दोनों ओर कार्गो के चारों कोनों पर लाल झण्डे लगाए जाएंगे जिससे आगे तथा पीछे से आने वाले वाहन यातायात को उचित रूप से सावधान किया जा सके।
- (iv) शक्ति आकार के कार्गो की हवाई पर मोटर वाहन कानून अधिनियम अथवा संबंधित राज्य के किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कर, यदि कोई है, लगाया जाएगा।
- (v) कोई अन्य शर्त, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा सड़क-भूलों, पुलियों की स्वाभाविक स्थिति तथा वाहन यातायात इत्यादि के संचालन की सहायता को भंग नकर रखते हुए, निर्धारित की जाए।
- (vi) प्रचालक को यह विकल्प होगा कि वह इस विशेष कार्य के लिए, सारणी में उल्लिखित किसी ट्रक ड्रैलर के खराब हो जाने की स्थिति में, किसी अन्य ट्रक ड्रैलर का प्रयोग कर सकेगा।

[सं. आर.टी.-11042/10/90-टी.ए.जी.]

बी.आर. चव्हाण, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

### ORDER

New Delhi, the 26th September, 1990

S.O. 744(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that a cargo different in dimensions than those specified in Rule 93 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, may be permitted for transportation by vehicles of the type specified in column 1 of the table annexed to this Order.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub clause (a) of Sub-Section (3) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Govt. hereby directs that the provisions of the said Rule 93 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall not apply to the said type of vehicles.

Table

Type of Vehicle	Area of Operation	Particulars and dimensions of the Cargo
Truck trailer combination (2 trailers—Registration No. UTC 9585 and UTC 9755)	From Lucknow to Bombay passing through the States of U.P., Rajasthan Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra.	2 Twin Beach aircrafts Length—31 ft. each Width—17 ft. each Height—8 ft. each

Owned by :  
M/s Feriwala  
Carriers and  
Contractors, Lucknow.

3. The above relaxation for the purpose of carrying overdimensional cargo is valid up to 31st December, 1990 and is only for the load specified in the table above. The above relaxation is also subject to following additional conditions :

- (i) The speed of truck shall not exceed 40 k.m. per hour or the lower speed limit as may be prescribed by the concerned State Government in whose jurisdiction truck is moving.